संख्या-45/2017-2260 ई-2/तेरह-2017-123/2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 19 सितम्बर,2017

विषय:-उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से मे0 जिन्दल स्टेनलेस (जे0एस0एल0) जाजपुर, ओडिशा को 15,000 मी0टन(1.5 लाख कुण्टल) शीरा निर्यात की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-42/दस-144ए/शीरा निर्यात/हरियाणा, दिनांक 05 सितम्बर,2017 तथा इस सम्बन्ध में दि0 15-9-2017 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-2267 ई-2/तेरह-2017-142/2017 दिनांक 18 सितम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05 सितम्बर,2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 जिन्दल स्टेनलेस (जे0एस0एल0) जाजपुर, ओडिशा को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 15,000 मी0टन अर्थात् 1.5 लाख कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 की प्राप्ति हेतु वांछित मात्रा में अल्कोहल/शीरे की उपलब्धता न होने की दशा में निर्यात तत्काल रोक दिया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in